



0151-2250006

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. SPL-33, Phase-2nd, Bhicchwal Industrial Area,
Bikaner - 334001

Email: ro-bikaner@gmail.com

www.rpcb.rajasthan.gov.in

RPCB/RO BIKANER/BM-635/

DATE :

Member Secretary,
State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan
4, Institutional Area, Jhalana Doongri
Jaipur.

Sub:-Regarding Public Hearing for Environment Clearance of Mining Project of
M/s Ramuram Nayak, Rajiram Meghwal, (M.L. No 10/2018), Near Village-Mudh,
Teh-Kolayat, Dist-Bikaner.

Ref:- Public hearing conducted on dated 24.12.2020.

Sir,

Apropos above the public hearing in the matter of Environment Clearance for the Mining
Project of M/s Ramuram Nayak, Rajiram Meghwal, (M.L. No 10/2018), Near Village-Mudh,
Teh-Kolayat, Dist-Bikaner was conducted on 24.12.2020 at Gram Panchayat Bhawan Parisar, Kotri,
Teh-Kolayat, Dist-Bikaner.

The minutes of the public hearing along with CD of videography of proceedings and
photographs are being forwarded in original for examination and further necessary action at the level
of State Level Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA) under EIA notification, 2006.

An objection was received via e-mail on dated 17.10.2020 against the project for which
leasee asked this submit response via this office letter dated 20.11.2020. Reply received from leasee
is attached herewith for kind perusal.

Enclosed:-

- (i) One set of minutes of the Public Hearing
- (ii) One set of Videography of the proceedings (1 CD)
- (iii) One set of Photographs
- (iv) Objection and its response.



Yours Sincerely

-sd-
(Prema Lal Raigar)
Regional Officer
RSPCB, Bikaner

Copy to following for information & necessary action:-

1. Member Secretary/Group Incharge (Mines), Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. Additional District Magistrate (City), Bikaner.
3. Analyst cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur with request to upload the proceedings of public hearing on Board's website.
4. M/s Ramuram Nayak, C-24, Narayan Vihar Basti, Ambedkar Colony, Bikaner.

Prema Lal Raigar
Regional Officer

जन-सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स रामुराम नायक और राजीराम मेघवाल की बीकानेर जिले में निकट ग्राम मढ़, तहसील-कोलायत में प्रस्तावित बॉल क्ले एवं सिलिका सेंड माईन परियोजना (खनन पट्टा संख्या 10/2018) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 24.12.2020 को प्रातः 11:00 बजे से जनसुनवाई स्थल ग्राम पंचायत भवन परिसर, कोटड़ी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर (राजस्थान) में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

मैसर्स रामुराम नायक और राजीराम मेघवाल की खनन परियोजना बॉल क्ले एवं सिलिका सेड की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 24.12.2020 को प्रातः 11:00 बजे से जनसुनवाई स्थल ग्राम पंचायत भवन परिसर, कोटड़ी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर (राजस्थान) में आयोजित की गई।

खनन परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:-

मैसर्स रामुराम नायक और राजीराम मेघवाल, खनन पट्टा नं. 10/2018, क्षेत्रफल 3.991 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,19,625 एम.टी.पी.ए (बॉल क्ले), 1,54,440 एम.टी.पी.ए. (सिलिका सेंड), निकट ग्राम मढ़, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर (राज.)।

उपरोक्त जनसुनवाई की विज्ञप्ति दैनिक राजस्थान प्रदीप में (संलग्नक-‘अ’) दिनांक 21.11.2020 एवं दैनिक भास्कर में (संलग्नक-‘ब’) दिनांक 21.11.2020 में प्रकाशित करवाई गई थी तथा जनसामान्य से लिखित आक्षेप/सुझाव सूचना के प्रकाशन की तिथि से जनसुनवाई तक आमंत्रित किए गए।

यह जनसुनवाई राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा एवं सुश्री सुनीता चौधरी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर), बीकानेर (प्रतिनिधि जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर) की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जनसुनवाई में नामित अधिकारीगण व क्षेत्र के ग्रामवासी व अन्य उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक-‘स’)। जनसुनवाई की वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी कराई गई।

जनसुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर के क्षेत्रीय अधिकारी श्री प्रेमालाल रैगर ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया तथा जनसुनवाई के उद्देश्य के बारे में जानकारी देने हेतु “रामुराम नायक और राजीराम मेघवाल” के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार “मैसर्स ओवरसीज मिनटेक कन्सलटेन्ट्स” के प्रतिनिधि को परियोजना की विस्तृत जानकारी एवं परियोजना के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव तथा शमन उपायों के संबंध के बारे में आमजन को प्रोजेक्टर के माध्यम से देने हेतु कहा गया।

इसके पश्चात परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स ओवरसीज मिनटेक कन्सलटेन्ट्स" के प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार यादव ने बॉल क्ले एवं सिलिका सेड (खनन पट्टा नं 10/2018) परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसके अन्तर्गत बताया कि यह खनन इकाई एक क्लस्टर क्षेत्र 12.4818 हेक्टेयर है, का भाग है तथा इस खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 3.991 हेक्टेयर है तथा यह खान बॉल क्ले का उत्पादन 1,19,625 एम.टी. प्रतिवर्ष एवं सिलिका सेड का उत्पादन 1,54,440 एम.टी. प्रतिवर्ष के लिए है। प्रस्तावित परियोजना का आधारभूत अध्ययन (Baseline Study) मानसून के बाद (अक्टूबर-दिसंबर 2019) में किया गया। तत्पश्चात पर्यावरणी सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया क्षेत्र, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर), बीकानेर ने ग्रामवासियों से इस खनन क्षेत्र में के बारे में आक्षेप एवं सुझाव मांगें।

जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुह द्वारा दिये गये आक्षेप/सुझाव/प्रश्न एवं उनके निराकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आक्षेप/सुझाव पूछने वाले का नाम व पता	आक्षेप/सुझाव/प्रश्न	निराकरण सम्बन्धी प्रस्ताव
1.	श्री भारती सिंह निवासी गांव-मढ़	माईन्स से उड़ने वाली धूल से बचने के लिए आप क्या उपाय करेंगे।	परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार यादव ने बताया कि खनन क्षेत्र में व सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जायेगा व खनन व खनन क्षेत्र के आसपास वन विभाग की सलाह के अनुसार जलवायु के अनुरूप पेड लगाए जायेंगे।
2.	श्री भारती सिंह निवासी गांव-मढ़	सड़को के रख रखाव के लिए क्या उपाय किये जायेंगे।	परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार यादव ने बताया कि परियोजना में सड़को के रखरखाव के लिए CSR प्रस्तावित किया गया है।
3.	ग्राम संरपंच कोटड़ी	क्या पौधारोपण केवल खनन क्षेत्र में ही किया जायेगा।	परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार यादव ने बताया कि पौधा रोपण खनन क्षेत्र के साथ-साथ आसपास के वन क्षेत्र में भी वन विभाग की सलाह के अनुसार जलवायु के अनुरूप वृक्षारोपण किया जायेगा साथ ही गांव में भी पौधे वितरित किये जायेंगे।







4.	श्री तारचन्द निवासी गांव-मढ़	क्या परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार प्राथमिकता पर मिलेगा।	परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार यादव ने बताया कि परियोजना में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के साथ रोजगार दिया जायेगा।
----	---------------------------------	---	--

सुश्री सुनीता चौधरी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर), बीकानेर ने पूछा कि गांव के स्कूली बच्चों के लिए आप क्या करेंगे।


परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार यादव ने बताया कि गांव के स्कूली बच्चों के लिए 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को मिठाई उपलब्ध करवायी जायेगी, स्कूल के विद्यार्थियों को उपयोगी उपहार, स्कूल में बच्चों के लिए 10X10 की लाईब्रेरी का निर्माण, स्कूल में पानी की टंकी का निर्माण एवं स्वच्छ शौचालय का निर्माण इत्यादि कार्य करवाने में सहयोग किया जायेगा।

अंत में सुश्री सुनीता चौधरी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर), बीकानेर एवं श्री प्रेमा लाल रैगर, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया एवं जनसुनवाई के समापन की घोषण की।


(प्रेमा लाल रैगर)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.सु.प्र.नि.मं., बीकानेर
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)


(सुनीता चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
प्रतिनिधि जिला मजिस्ट्रेट एवं मजिस्ट्रेट,
बीकानेर

समर्थन



21 से पुष्पा कंवर की अपील की इस वर्ष सरपंच झड्डू, प्रतिनिधी हदां, प्रतिनिधि लम्माणालाह सरपंच भेलू, प्रतिनिधि खिंदासर, सरपंच नैणिया, झड्डू, गोपीराम चक्रविजय सिंह खूसर, मदन गोपाल कोटड़ी एवं अनेक सैकड़ों कार्यकर्ता शिखा मंत्री भाटी का सभा क्षेत्र के गांवों निरसम्पर्क कार्यक्रम खारिया पातावतान, गान, गोविन्दसर, जसर, पेथड़ो की देवड़ो की ढाणी, सर, सेवड़ो आदि

बताया है कि भी पाया गया कि पर कार्यरत कर्मचारीगण को 2019 के पश्चात से आज तक

उपस्थित कर्मचारीगण ने इस बात को लेकर पीड़ा जाहिर की कि उन्हें कई माह से वेतन नहीं मिल रहा है। कोविड-19 के

उपलब्ध करवाई जाती है। उक्त केन्द्र पीड़ित व उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को अविलंब सहायता व राहत दिलाने हेतु स्थापित किया गया है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 क्षेत्रीय कार्यालय, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर
 क्रमांक राप्रनिम/बीका/तक/बीका/बीएम-634/1130 दि. 20.11.2020
 पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि :-

01. मैसर्स श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री दिलीप सारस्वत, श्री हरिराम पुत्र श्री जगदीश ने खनन पट्टा (Ref. No 2019100003539) क्षेत्रफल 3.9990 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,91,040 टी.पी.ए. निकट ग्राम शरह बुच्चावास, तहसील-श्रीलूणकरनसर, जिला-बीकानेर में बजरी, ग्रेवर, मुरम खनन की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।

2. और चूंकि मैसर्स श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री दिलीप सारस्वत, श्री हरिराम पुत्र श्री जगदीश को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।

3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।

4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

5. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

01. जिला कलक्टर कार्यालय, बीकानेर। 02. जिला परिषद कार्यालय, बीकानेर। 03. जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर। 04. पंचायत समिति कार्यालय लूणकरणसर जिला बीकानेर। 05. तहसील कार्यालय, लूणकरणसर जिला बीकानेर। 06. ग्राम पंचायत कार्यालय, हंसेरा, तहसील-लूणकरणसर, जिला बीकानेर। 07. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर। 08. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान। 09. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर राजस्थान। 10. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

06. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 23.12.2020 को प्रातः 11.30 बजे ग्राम पंचायत भवन परिसर, हंसेरा, तहसील-लूणकरणसर, जिला-बीकानेर में आयोजित की जाएगी। अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. स्पे 33, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में दिये जा सकते हैं।

(प्रेमालाल रैगर) क्षेत्रीय अधिकारी,
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
 बीकानेर (राजस्थान)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 क्षेत्रीय कार्यालय, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर
 क्रमांक राप्रनिम/बीका/तक/बीका/बीएम-635/1134 दि. 20.11.2020
 पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि :-

01. मैसर्स रामुराम नायक और राजीराम मेघवाल ने खनन पट्टा 10/2018, क्षेत्रफल 3.991 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,19,625 एम.टी.पी.ए. (बॉल क्ले), 1,54,440 एम.टी.पी.ए. (सिलिका सैंड) एवं ऑवर बर्डन 70,920 टन, निकट ग्राम मढ़, तहसील-श्रीकोलायत, जिला-बीकानेर में बॉल क्ले व सिलिका सैंड खनन की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।

2. और चूंकि मैसर्स रामुराम नायक और राजीराम मेघवाल को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।

3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।

4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

5. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालय पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

01. जिला कलक्टर कार्यालय, बीकानेर। 02. जिला परिषद कार्यालय, बीकानेर। 03. जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर। 04. पंचायत समिति कार्यालय श्रीकोलायत बीकानेर। 05. तहसील कार्यालय, श्रीकोलायत, बीकानेर। 06. ग्राम पंचायत कार्यालय, कोटड़ी, तहसील-श्रीकोलायत, जिला बीकानेर। 07. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर। 08. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान। 09. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर राजस्थान। 10. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 24.12.2020 को प्रातः 11.00 बजे ग्राम पंचायत भवन परिसर, कोटड़ी, तहसील-श्रीकोलायत, जिला-बीकानेर में आयोजित की जाएगी। अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. स्पे 33, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में दिये जा सकते हैं।

(प्रेमालाल रैगर) क्षेत्रीय अधिकारी,
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
 बीकानेर (राजस्थान)

सुविधा के लिए तीन रेलगाड़ियों में अस्थायी कोच बढ़ाए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल ने बताया कि बीकानेर-दादर-बीकानेर द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल में बीकानेर से दिनांक 24 व 28 नवंबर, दादर से 25 व 29 नवंबर तक के लिए 1 थर्ड एसी व 1 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बा बढ़ाया गया है। ट्रेन बीकानेर-बांद्रा

स्पेशल में बीकानेर से 23 एवं 30 नवंबर तथा बांद्रा टर्मिनस से 24 नवंबर एवं 1 दिसंबर को 1 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की है। ऐसे ही बाड़मेर-यशवंतपुर-बाड़मेर एसी साप्ताहिक स्पेशल में बाड़मेर से 27 नवंबर, 4 एवं 11 दिसंबर को तथा यशवंतपुर से 30 नवंबर, 7 एवं 14 दिसंबर को 1 थर्ड एसी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है।

सुनील बेनीवाल

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

क्षेत्रीय कार्यालय, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर
क्रमांक राजनिगं/बीका/तक/बीका/बीएम-634/1130 दि. 20.11.2020

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि :-

01. मैसर्स श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री दिलीप सारस्वत, श्री हरिराम पुत्र श्री जगदीश ने खनन पट्टा (Ref. NO 2019100003539) क्षेत्रफल 3.9990 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,91,040 टी.पी.ए. निकट ग्राम शरह बुच्चावास, तहसील-श्रीलूणकरणसर, जिला-बीकानेर में बजरी, ग्रेवर, मुरम खनन की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।
2. और चूंकि मैसर्स श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री दिलीप सारस्वत, श्री हरिराम पुत्र श्री जगदीश को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से संबंधित सक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

01. जिला कलक्टर कार्यालय, बीकानेर। 02. जिला परिषद कार्यालय, बीकानेर। 03. जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर। 04. पंचायत समिति कार्यालय लूणकरणसर जिला बीकानेर। 05. तहसील कार्यालय, लूणकरणसर जिला बीकानेर। 06. ग्राम पंचायत कार्यालय, हुंसेरा, तहसील-लूणकरणसर, जिला बीकानेर। 07. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर। 08. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान। 09. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर राजस्थान। 10. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

06. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 23.12.2020 को प्रातः 11.30 बजे ग्राम पंचायत भवन परिसर, हुंसेरा, तहसील-लूणकरणसर, जिला-बीकानेर में आयोजित की जाएगी। अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. स्पे 33, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में दिये जा सकते हैं।

(प्रेमालाल रैगर) क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बीकानेर (राजस्थान)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

क्षेत्रीय कार्यालय, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर
क्रमांक राजनिगं/बीका/तक/बीका/बीएम-635/1134 दि. 20.11.2020

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि :-

01. मैसर्स रामुराम नायक और राजीराम मेघवाल ने खनन पट्टा 10/2018, क्षेत्रफल 3.991 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,19,625 एम.टी.पी.ए. (बॉल बले), 1,54,440 एम.टी.पी.ए. (सिलिका सेंड) एवं ऑबर बर्डन 70,920 टन, निकट ग्राम मड़, तहसील-श्रीकोलायत, जिला-बीकानेर में बॉल बले व सिलिका सेंड खनन की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।
2. और चूंकि मैसर्स रामुराम नायक और राजीराम मेघवाल को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से संबंधित सक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालय पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

01. जिला कलक्टर कार्यालय, बीकानेर। 02. जिला परिषद कार्यालय, बीकानेर। 03. जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर। 04. पंचायत समिति कार्यालय श्रीकोलायत बीकानेर। 05. तहसील कार्यालय, श्रीकोलायत, बीकानेर। 06. ग्राम पंचायत कार्यालय, कोटड़ी, तहसील-श्रीकोलायत, जिला बीकानेर। 07. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर। 08. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान। 09. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर राजस्थान। 10. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 24.12.2020 को प्रातः 11.00 बजे ग्राम पंचायत भवन परिसर, कोटड़ी, तहसील-श्रीकोलायत, जिला-बीकानेर में आयोजित की जाएगी। अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. स्पे 33, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में दिये जा सकते हैं।

(प्रेमालाल रैगर) क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बीकानेर (राजस्थान)

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स रामुराम नायक और राजीराम मेघवाल (खनन पट्टा संख्या 10/2018, क्षेत्रफल 3.9918 हैक्टेयर) की निकट ग्राम मढ़, तहसील-श्रीकोलायत, जिला बीकानेर में प्रस्तावित माईनिंग परियोजना (उत्पादन क्षमता बॉल क्ले -1,19,625 एम.टी.पी.ए व सिलिका सेंड-1,54,440 एम.टी. पी.ए.) की पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 24.12.2020 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थान:- ग्राम पंचायत भवन परिसर, कोटड़ी, तहसील-श्रीकोलायत, जिला-बीकानेर

दिनांक:- 24.12.2020 समय प्रातः 11.00 बजे ।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय	हस्ताक्षर
1.	Sevita Chaudhary	ADM (city) Bikaner	de 24/12
2.	प्रेम लाल	डिप्टी अधीकारी, रामपुरम, बीकानेर	प्रेम लाल
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

जन सुनवाई हेतु नागरिकों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स रामुराम नायक और राजीराम मेघवाल (खनन पट्टा संख्या 10/2018, क्षेत्रफल 3.9918 हैक्टेयर) की निकट ग्राम मढ़, तहसील-श्रीकोलायत, जिला बीकानेर में प्रस्तावित माईनिंग परियोजना (उत्पादन क्षमता बॉल क्ले -1,19,625 एम.टी.पी.ए व सिलिका सेंड-1,54,440 एम.टी. पी.ए.) की पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 24.12.2020 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थान:- ग्राम पंचायत भवन परिसर, कोटड़ी, तहसील-श्रीकोलायत, जिला-बीकानेर
दिनांक:- 24.12.2020 समय प्रातः 11.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	हरिनारायण	43	
2.	गारादगरी सिंह	76	
3.	तीरचंड	---	तीरचंड
4.	सुरेश का म	---	सुरेश का म
5.	मंवरलाल	---	मंवरलाल
6.	शिवसिंह	---	शिवसिंह
7.	शरदराम	---	शरदराम
8.	सुमेश का म	---	सुमेश का म
9.	हरदेव	---	हरदेव
10.	हरदेव	---	
11.	मधुराज	---	मधुराज
12.	सुमेश	---	सुमेश
13.	कांतू सिंह	---	कांतू सिंह
14.	कांतू सिंह	---	कांतू
15.	शवार सिंह	---	

16.	Shiv	कोडी	shiv
17.	जन्मसिंह	कोडी	shiv
18.	प्रियंका	नई	शिव
19.	नर	का. कोडी	शिव
20.	पुन	वा. कोडी	मुकेश
21.	ला. कोडी	नई	दिलीप
22.	Arora	हु. कोडी	Arora
23.	Mohal	शु. कोडी	सु. कोडी
24.	Dinesh	ध. कोडी	हरि. कोडी
25.	शिव. कोडी	शिव. कोडी	Bhush
26.	Arora	शिव. कोडी	शिव. कोडी
27.	शिव. कोडी	शिव. कोडी	शिव. कोडी
28.	शिव. कोडी	शिव. कोडी	शिव. कोडी
29.	शिव. कोडी	शिव. कोडी	शिव. कोडी
30.	शिव. कोडी	शिव. कोडी	शिव. कोडी
31.	Jivan Yadav	OMTC (Jaipur)	Jivan
32.	Arunk	OMTC (Jaipur)	Arunk
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			